

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रिकर करने
हेतु दोनों सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत
में रिकर किया जाता है। प्रयाग दिनांक 13/5/17
को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

13/5/17

वजावली आज राजस्थान लोक अदालत
द्वारा आज के द्वार अधिकांश के-व पासवली
द्वारा में वेब डूब। वही राज अदालत
में प्रार्थना दवा वेब डूब निवेदन किया
कि वह इस अदालत में आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं अदालत की कार्यवाही इसी
रूप पर बीच की जाती। आज वाही डूब
निवेदन पर अदालत की कार्यवाही इसी
रूप पर बीच की जाती है परन्तु निवेदन
होकर संपन्न से कम है।

निष्पत्ति सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी
नेरुवा जिला, उदयपुर